सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांक: 22/12/2025

फा .सं :. NCST/ATY-1829/UP/3/2024-APCR

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला -देवरिया
पुलिस अधीक्षक कार्यालय
कार्यालय साकेत नगर,
देवरिया, उत्तर प्रदेश -274001
Email Id: spdoa-up@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति महिला के बच्चों को धारा 307 के केस में फंसाने की साजिश के संदर्भ में श्रीमती रेखा देवी, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती रेखा देवी,
गांव हरइया, पोस्ट भटनी ददान
पुलिस स्टेशन- महुआबिह,
जिला- देवरिया , उत्तर प्रदेश
मो .नं: .7408065636

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-1829/UP/3/2024-APCR

श्रीमति रेखा देवी, पत्नी श्री राम बड़ाई, ग्राम हरैया, पो० भटनी दादन, थाना महुयाडीह, जिला देवरिया से प्राप्त अभ्यावेदन—अनुसूचित जनजाति महिला के बच्चों को धारा 307 के प्रकरण में फँसाने की साज़िश—के संदर्भ में आयोग की माननीय सदस्य डॉ० आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त |

सुनवाई की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को अपराह्न **03:30** बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

प्रार्थिनी श्रीमती रेखा देवी, पत्नी श्री राम बड़ाई, निवासी ग्राम हरैया, पो० भटनी दादन, थाना महुयाडीह, जिला देवरिया (उ. प्र .)द्वारा आयोग को प्रस्तुत शिकायत दिनांक 10.07.2024 में यह आरोप लगाया गया है कि उनके पड़ोसी श्री वैद्यनाथ कुशवाहा ने जिला अस्पताल, गोरखपुर के चिकित्सक डॉ. वी.के. गुप्ता की मिलीभगत से खोपड़ी टूटने की फर्जी मेडिकल/इंजरी रिपोर्ट तैयार करवाई तथा उसके आधार पर प्रार्थिनी के पुत्रों को मु.से. 181/22 के अंतर्गत धारा 307 IPC के प्रकरण में अनुचित रूप से फँसाया गया है।प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के आदेशानुसार मण्डलीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, देवरिया को यह निर्देशित किया गया कि वैद्यनाथ कुशवाहा को पुनः N.C.C.T./CT स्कैन हेतु मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कराया जाए। तथापि, पुलिस द्वारा अनुपालन न किए जाने के कारण उक्त जाँच लगभग सात माह से लंबित है।उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि श्री वैद्यनाथ कुशवाहा का CT स्कैन कराते हुए लंबित जाँच की कार्यवाही को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण कराया जाए।

2. प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, देवरिया (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 20.09.2024 को नोटिस जारी किया गया ।

3. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिनांक 03.01.2025 प्राप्त हुई , जिसके माध्यम से उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि आवेदिका श्रीमती रेखा देवी पत्नी रामबड़ाई, निवासी ग्राम–हरैया, थाना–महुआडीह, जनपद देवरिया की शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी नगर, देवरिया से कराई गई।प्राप्त जांच आख्या के अनुसार, दिनांक 17.06.2022 को आवेदिका तथा उसके परिजन—विश्वजीत उर्फ भोलू, रितिक उर्फ छोटू एवं प्रियंका कुशवाहा—द्वारा बैजनाथ कुशवाहा को धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई गईं। उक्त घटना के आधार पर मु.अ.सं. 181/2022, धारा 323, 324, 504, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्राथमिकी पंजीकृत की गई। विवेचना के दौरान चिकित्सा रिपोर्ट एवं चिकित्सकों के अभिमत के आधार पर प्रकरण में धारा 307 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी की गई, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त रितिक को दिनांक 21.08.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आशा लकड़ा

आवेदिका श्रीमती रेखा देवी एवं सह-अभियुक्त प्रियंका कुशवाहा के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या ए-239/2022 दिनांक 24.09.2022 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् विवेचना अधिकारी के परिवर्तन उपरांत शेष अभियुक्त विश्वजीत उर्फ भोलू ने दिनांक 20.04.2023 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसके विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोप पत्र संख्या ए–239–बी/2023 दिनांक 18.05.2023 को प्रेषित कर दिनांक 04.07.2023 को न्यायालय में दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण में कोई विवेचनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

4. मामले में शिकायतकर्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 02.12.2025 को सिटिंग निर्धारित की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, देवरिया (उत्तर प्रदेश) को सिटिंग नोटिस दिनांक 20.11.2025 प्रेषित किया गया।

5. पुलिस अधीक्षक, देवरिया (उत्तर प्रदेश) द्वारा पत्रांक–एसटी–ई–7–19/2024 दिनांक 30.11.2025 के माध्यम से क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद देवरिया को आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु नामित किया गया। निर्धारित सुनवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद देवरिया तथा चौकी प्रभारी, थाना महुआडीह, जनपद देवरिया आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। आवेदिक भी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित रहीं।

6. सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

(i) सुनवाई के दौरान यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आया कि उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (subjudice) है। इसलिए प्रकरण में आयोग द्वारा कोई अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित नहीं है । अतः मामला आयोग में बंद किया जाता है |

(ii) **याचिकाकर्ता एवं उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।**
संबंधित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के परिवार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुरक्षा उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएँ।

आशा लकड़ा
10/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1829/UP/3/2024-APCR

Sitting to be held on **02.12.2025 at 03.30 P.M-** अनुसूचित जनजाति महिला के बच्चों को धारा 307 के केस में फंसाने की साजिश के संदर्भ में **श्रीमती रेखा देवी**, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member'	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Superintendent of Police, Deoria, Uttar Pradesh**		
1.	संजय कुमार रेड्डी क्षेत्राधिकारी नगर जनपद - देवरिया	9415275045	[illegible] 02.12.25
2.	बलराम सिंह (SI) चौकी प्रभारी हेतिमपुर थाना [illegible] जनपद - देवरिया	9451096479	[illegible]
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	रेखा देवी	7408065636	रेखा देवी
2.			